

FORM-I
(for Linear Projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Chamoli

No. /

Dated : 06 / 09 / 2017

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is a certified that **2.367 Hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of **Public Works Department Uttarakhand** for **Construction of Thirpak – Kandai Motor Road Km. 2 to Choprakot** falls within jurisdiction of Choprakot, Tonla, Heen Village in Tehsil Ghat/Chamoli,

It is further certified that :-

- (a) The Complete Process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.367 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23, 23.1, 23.2 and 23. (A).
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha (s) have given their consent to it,
- (c) The Proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above

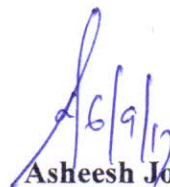

Asheesh Joshi
District Magistrate
Chamoli (Uttarakhand)

**Office of the District Collector,
District-Chamoli (Uttarakhand)**

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act)FRA), 2006

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttarakhand), constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Shri Asheesh Joshi, District Magistrate, Chamoli (Uttarakhand) on ~~06.09.2017~~ At ~~12:00 PM~~ at Chamoli in which the application claiming rights in village - Choprakot, Tonla, Heen Village in Tehsil Ghat/Chamoli, area Measuring 2.367 Hectares for the Construction of Thirpak – Kandai Motor Road Km. 2 to Choprakot of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee Ghat/Chamoli Tehsil were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.



Asheesh Joshi
District Magistrate –cum-
Chairman, District Level
Committee, Chamoli

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- जनपद चामोली के विकास खण्ड धार में अन्तर्गत शिखाक
काठई मोटर मार्ग के किमी. 2 में चौपड़ा मोर तक मोटर
मार्ग का निर्माण ,

कार्यालय उप जिलाधिकारी, चामोली

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, -----

उपखण्ड ६७२ परिक्षेत्र के अन्तर्गत शिखाक काठई मोटर मार्ग १/१२
चौपड़ा मोर तक (२५५ हे० आरक्षित वन भूमि, ०.२४० हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि १.६९३ हे०
वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल १.९३३ हे० वन भूमि) का
श्री नि. विजय प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के
अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील चामोली) की दिनांक ०५-०९-२०१७ को
सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक
श्री परमानन्द राय उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की
अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1- श्री परमानन्द राय उपजिलाधिकारी [Signature] अध्यक्ष

2- श्री पुष्पल किशोर उपप्रभागीय वनाधिकारी [Signature] सदस्य

3- श्री नरत पति सहायक समाज कल्याण अधिकारी [Signature] सदस्य / सचिव

4- श्री महेश्वरी देवी वनाधिकार समिति सदस्य [Signature]

5- श्री माकेश्वरी देवी वनाधिकार समिति सदस्य [Signature]

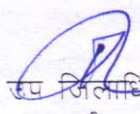
6 मीमटी सुसीला देवी वनाधिकार समिति सदस्य [Signature] सुशीला रावत

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि धिरण्डा आर्बर्ड मोटर मार्ग के जिला 2 में चोपडागोट तह मोटर मार्ग का

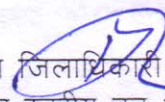
निर्माण परियोजना हेतु 1: 937 हे० वन भूमि लो. नि. नि. प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के तनक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, चमोली द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड धार परिक्षेत्र के अन्तर्गत धिरण्डा आर्बर्ड मोटर मार्ग के जिला 2 में चोपडागोट परियोजना के निर्माण हेतु 2: 367 हे० वन भूमि लो. नि. नि. प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।


उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील उप जिलाधिकारी
जनपद चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील उप जिलाधिकारी
जनपद चमोली

परियोजना का नाम:-

वनअधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण -पत्र

ग्राम पंचायत का नाम.....चोपडाकोट ग्राम-चरी, चोपडाकोट
तहसील.....घाट जिला.....चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत खिरपाठ काण्डई और भारी के वि० न० ०२ से चोपडाकोट के
खिरपाठ परियोजना के निर्माण हेतु५..... हे० आरक्षित वनभूमि ०.२४० हे० सिविल
सोयम भूमि १.६९७ हे० वनपंचायत भूमि अर्थात् कुल १.९३७ हे० वनभूमि का लौकिक विभाग/संस्था के
पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वनमंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।
उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चोपडाकोट द्वारा दिनांक ०२/०९/१४ को सम्पन्न
ग्रामसभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण
पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत
आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित
सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का
कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर
ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया
कि ग्राम चोपडाकोट के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि लौकिक वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के
निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/- सरपंच
वन पंचायत ग्राम-चोपडाकोट
ग्रामसभा सदस्य, घाट (प्रा.)



नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण
उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया
जायेगा।

दिनांक 02/09/17 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्रामपंचायत... चोपडाकोट (सी. रेंज, चोपडाकोट)

क्रमांक	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	संजय प्रसाद (पूर्व प्रधान)	Sanjay
2	प्रेम चन्द	प्रेम
3	चन्द प्रसाद	चन्द
4	दीक्षा देवी	दीक्षा
5	मनाराम देवी	मनाराम
6	कमला देवी	कमला देवी
7	लक्ष्मी प्रसाद (सरपंच)	Laxmi
8	देवी प्रसाद	Devi Prasad
9	सुवेन्द प्रसाद	Suwend
10	इमेश चन्द	इमेश
11	हरेश चन्द	Harish
12	मंगल	Mangal
13	देवेन्द प्रसाद	Devend
14	हरी प्रसाद	हरी प्रसाद
15	गोपाल देव	G.D. Parashar
16	राम प्रसाद	राम प्रसाद
17	सतीश चन्द	Satish Chandra
18	मुन्नी देवी	मुन्नी देवी
19	शकुन्तला देवी	शकुन्तला देवी
20	नेमी देवी	नेमी
21	बिनिता देवी	BINITA
22	श्यामा देवी	Shyamala
23	सीता देवी	सीता देवी
24	सरोज देवी	सरोज देवी
25	लाला प्रसाद	लाला प्रसाद

Laxmi
ग्राम पंचायत, चोपडाकोट
विकास, प्रगति, प्रसाद (ग्राम)



परियोजना का नाम:-

वनअधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण -पत्र

ग्राम पंचायत का नाम चोपडाकोट ग्राम-तोलना
तहसील घाट जिला कोटा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

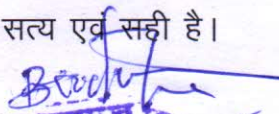
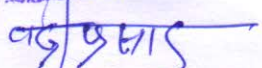
उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत धिराठ-काठई सोय मार्ग के km 2.5 चोपडाकोट के सोय मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 4 हे० आरक्षित वनभूमि 0.28 हे० सिविल सोयम भूमि 1.697 हे० वनपंचायत भूमि अर्थात् कुल 1.977 हे० वनभूमि का जी०बि०वि० विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वनमंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चोपडाकोट द्वारा दिनांक 21.09.17 को सम्पन्न ग्रामसभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

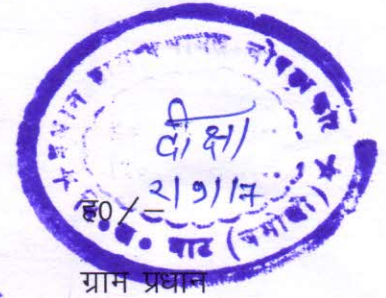
चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चोपडाकोट के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि जी०बि०वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम सचिव


सरपंच
वन पंचायत ग्राम चोपडाकोट
विकास घाट, तहसील चोपडाकोट




ग्राम प्रधान

नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

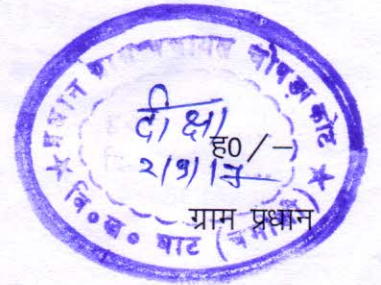
प्रपत्र - 23.1

दिनांक ०२/०९/१७ को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्रामपंचायत सीणकीर ग्राम होल्ना

क्रमांक	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	<u>पवन</u>	<u>Y. S. Singh</u>
2	<u>वडी प्रसाद</u>	<u>वडी प्रसाद</u>
3	<u>वेस्ता रानी</u>	
4	<u>दिनेश चन्द</u>	<u>Diresh Chandra</u>
5	<u>मृपनेवा</u>	<u>मृपनेवा</u>
6		
7	<u>ललिता प्रसाद</u>	<u>Naresh</u>
8	<u>नरेश प्रसाद</u>	<u>Naresh</u>
9		
10	<u>नादिधन</u>	<u>Naresh</u>
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		

सरपंच
ग्राम पंचायत ग्राम होल्ना
विकास खण्ड पाट (ग्राम)



परियोजना का नाम:-

वनअधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण -पत्र

ग्राम पंचायत का नाम चिरपाड़ा चौपड़ मोरमणी के km 2 से चौपड़ मोरमणी
तहसील घाट जिला चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत चिरपाड़ा चौपड़ मोरमणी के km 2 से चौपड़ मोरमणी परियोजना के निर्माण हेतु X हे० आरक्षित वनभूमि 0.28 हे० सिविल सोयम भूमि 1.697 हे० वनपंचायत भूमि अर्थात् कुल 1.977 हे० वनभूमि का ली० नं० ६६८ विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वनमंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चौपड़ मोरमणी द्वारा दिनांक 02/02/17 को सम्पन्न ग्रामसभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम घाट के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि ली० नं० ६६८ प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

सरपंच
वन पंचायत ग्राम घाट
चिरपाड़ा चौपड़ मोरमणी
ह०/

ग्राम सचिव

नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।



दिनांक 22/09/14 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्रामपंचायत चोपडाकोट, ग्राम हीठा

क्रमांक	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	रामप्रसाद	
2	दयाराम	
3	रमेश चन्द	
4	भगवती प्रसाद	
5	सिता देवी	
6	कल देवी	
7	राजी देवी	
8	भगवती प्रसाद	
9	मोहन प्रसाद	
10	लक्ष्मी प्रसाद	
11	भोकराम लाल	
12	जगदीश प्रसाद	
13	शुक्ल प्रसाद	
14	देवी प्रसाद	
15	शारदा प्रसाद	
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		

ग्रामपंचायत
चोपडाकोट, ग्राम हीठा
विभाग, ग्रामपंचायत (चोपडाकोट)

ग्रामपंचायत
हीठा - चोपडाकोट
विभाग, ग्रामपंचायत
चोपडाकोट

